रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936
No. 145] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015/PHALGUNA 22, 1936

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2015

सा.का.नि. 193(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (समेकित) भर्ती नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रेशम बोर्ड (समेकित) भर्ती (संशोधन) नियम 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड (समेकित) भर्ती नियम, 1989 के अनुसूची-1 में "क्षेत्र सहायक" के पद से संबंधित क्र.सं. 56 के सामने स्तंभ 11 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के ऐसे सहायक तकनीकी, एटेंडर, चौकीदार, सफाई वाला और कुशल फार्म कार्यकर्ता के काडर में कार्यरत कर्मचारी जिनके पास विहित शैक्षिक अर्हता है आवेदन करने के पात्र हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड में नैमित्तिक मजदूर, समय वेतनमान फार्म कार्यकर्ता/कुशल फार्म कार्यकर्ता और समूह-घ कर्मचारियों के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा की गणना आयु में शिथिलीकरण के प्रयोजन के लिए भी की जाएगी।"

[फा. सं. 25012/9/2014-रेशम]

सीताराम गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2015

G.S.R. 193(E).—In exercise of powers conferred by section13 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Silk Board (Consolidated) Recruitment Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Central Silk Board (Consolidated) Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Silk Board (Consolidated) Recruitment Rules, 1989 in Schedule-I, against serial number 56 relating to the post of "Field Assistant", in column (11) for the entry the following shall be substituted, namely :—

"100 per cent by direct recruitment

Central Silk Board employees working in the cadres of Assistant Technician, Attender, Chowkidar, Safaiwala and Skilled Farm Workers possessing the prescribed educational qualification are eligible to apply. The service rendered by them as Casual Labourer, Time Scale Farm Worker/Skilled Farm Worker and Group-D employees in the Central Silk Board shall also be counted for the purpose of age relaxation."

[F. No. No.25012/9/2014-Silk]

SITARAM GUPTA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.